



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

पत्रांक: प0आ0का0: विपणन : 952

दिनांक 09.08.2017

परिवहन हेतु निविदा आमंत्रण

पशु आहार कारखाना, होटवार,रॉंची द्वारा उत्पादित पशु एवं पक्षी आहारों को 16 सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि हेतु बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के विभिन्न गंतव्य स्थानों में परिवहन हेतु सक्षम परिवहन संवेदकों से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/कुरियर द्वारा आमंत्रित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से निम्नांकित तिथियों के अनुरूप अवधि विस्तारित की जाती है ।

- वैसे निविदादाता जिन्होंने अपना दर पत्रांक: प0आ0का0: विपणन : 841 दिनांक 13.07.2017 के आलोक में दर समर्पित कर दिया है , उन्हे पुनः निविदा दर समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है ।
- निविदा कागजातों की बिक्री की तिथि एवं समय 10.08.2017 पूर्वाह्न 11.00 बजे से 25.08.2017 के अपराह्न 4.30 बजे तक ।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय 26.08.2017 के अपराह्न 4.30 बजे तक ।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय 28.08.2017 को पशु आहार कारखाना,रॉंची में पूर्वाह्न 11.30 बजे ।
- निविदा प्रपत्र 1000.00 (एक हजार रुपये) नगद जमा कर पशु आहार कारखाना, रॉंची से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.cfpran.com से डाउनलोड कर रू0 1000.00 (एक हजार) की किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो " **बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड** " के नाम होगा तथा रॉंची में भुगतये होगा, संलग्न कर भेजा जा सकता है ।
- निविदा के साथ 10,000 (दस हजार) रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक का " **बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड** " के नाम तथा रॉंची में भुगतये होगा , अग्रधन के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा । निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकते है ।
- बिना कारण बताये सभी या किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
- विशेष जानकारी इस योजना के वेबसाईट www.cfpran.com पर उपलब्ध है ।

मुख्य कार्यपालक

प्रतिलिपि : सूचना पट, पशु आहार कारखाना,रॉंची ।
: सभी शाखा, पशु आहार कारखाना,रॉंची ।
: प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक, } कृपया अपने स्तर से इसे सूचना पट्ट पर दर्शाने हेतु
: सभी दुग्ध संघ व कॉम्फेड की इकाई } निवेदित ।
: महाप्रबन्धक, कॉम्फेड, पटना ।



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

निविदा प्रपत्र- 1
परिवहन निविदा की मुख्य शर्तें

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तों को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर भरेंगे । अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी/स्पष्टता प्राप्त करनी हो तो मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, राँची के मोबाईल न0 9473199960/63 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
2. पशु एवं पक्षी आहार (फीड) का परिवहन पशु आहार कारखाना, राँची से कॉम्फेड के सम्बद्ध संघो ईकाईयों एवं अन्य सरकारी प्रक्षेत्रों, ईकाईयों के अंतर्गत कुल 28 गन्तव्य स्थानों (प्रपत्र -4) के लिए प्रस्तावित है तथा मासिक फीड की मात्रा औसतन 1300-1400 मे0टन संभावित है ।
3. निर्गत निविदा प्रपत्रों में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी । भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।
4. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र पशु आहार कारखाना के वेबसाईट से डाउन लोड करते है, तो भरी गयी निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य 1000.00 (एक हजार) रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो " **बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड** " के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा, संलग्न करें , अन्यथा उनकी निविदा अमान्य होगा ।
5. निविदा के साथ अग्रधन (EMD) की राशि 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो " **बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड** " के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा, अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक के द्वारा वापस किया जायेगा ।
6. निविदा प्रपत्र दो भागों में आमंत्रित किए गए है तकनीकी निविदा जिसमें प्रपत्र -2 एवं 3 है तथा वित्तीय निविदा जो प्रपत्र 4 है, को भरकर एवं हस्ताक्षर कर अलग - अलग लिफाफा में मुहरबंद/सील कर भरे जाए तथा लिफाफे के उपर आवेदक अपना पूरा पता तथा " परिवहन हेतु तकनीकी निविदा " लिखकर समर्पित करेंगे । परिवहन दर हेतु निविदा प्रपत्र-4 में भरे जाएंगे तथा इसे हस्ताक्षर कर अलग लिफाफा में जिसपर " परिवहन हेतु दर " को लिखकर दोनो लिफाफा का एक अलग लिफाफा में डालकर कुरियर/स्पीड पोस्ट मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, होटवार, पोस्ट- नेवरी विकाष, राँची - 835217, को नियत तिथि एवं समय तक समर्पित करेंगे ।
7. तकनीकी रूप से सफल निविदा के अनिवार्य अहर्ता एवं योग्यता :-

- क) निविदा प्रपत्र मूल्य 1000/- बैंक ड्राफ्ट/ प्राप्ति रसीद मूल प्रति में ।
- ख) निविदा के साथ अग्रधन की राशि 10,000/- बैंक ड्राफ्ट ।
- ग) पैन कार्ड की छाया प्रति । (स्व प्रमाणित)
- घ) गुडस एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति । (स्व प्रमाणित)
- ङ) निविदादाता का पत्राचार पता साक्ष्य- सहित । (स्व प्रमाणित)
- च) आखरी तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छाया प्रति । (स्व प्रमाणित)
- छ) निविदादाता के पास कम से कम 5 गाड़ियों की उपलब्धता होनी चाहिए, जो स्वयं का या नियंत्रणाधीन/अनुबंधित होनी चाहिए ।

- ज) स्वयं की गाड़ियों या लीज एवं अनुबंध पर ली गई गाड़ियों की ऑनर बुक, रोड परमिट एवं अद्यतन इंसोरेन्स होना चाहिए साथ ही साथ लीज/ अनुबंध की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- झ) निविदादाता को छ माह का अद्यतन बैंक विवरणी संलग्न करना आवश्यक है।
- ञ) निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सुची में नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वअभिप्रेमाणित किया गया विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।
8. गाड़ी संबंधी विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र -3 में भरा जाना है।
 9. भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं गुडस एण्ड सर्विस टैक्स शामिल होंगे। संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार गुडस एण्ड सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (टी.डी.एस) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान की जाएगी।
 10. वैसे सफल निविदादाता जिनका परिवहन दर न्यूनतम पाया जाता है सिर्फ उन्ही से दर सम्बन्धी वार्ता की जाएगी।
 11. फीड परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गंतव्य स्थानों तक परिवहन कर्ता को अपने खर्च पर दुसरे वाहन में फीड लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा ताकि पशु आहारों की बर्बादी न हो एवं ससमय गंतव्य स्थानों पर आपूर्ति हो पाए।
 12. निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि को ट्रक का ऑनर बुक की छाया प्रति एवं अधिकृत करने संबंधी लीज/अनुबंध पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिकृत प्रतिनिधि को इतना सक्षम होना चाहिए कि निविदा खोले जाने के उपरान्त दर वार्ता एवं अन्य शर्तों पर उनसे सीधी बात की जा सके एवं वे निर्णय लेने में सक्षम हों क्योंकि दर खोले जाने के उपरान्त दर एवं अन्य शर्तों पर वार्ता तत्काल की जा सकती है।
 13. किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड/ अनलोड नही होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नही होगा।
 14. सफल निविदादाता को गंतव्य स्थानों के अनुसार संलग्न अनुसूची-01 में दर्शायी गई राषि के अनुसार सुरक्षा/जमानत राषि पशु आहार कारखाना में एकरारनामा अवधि तक के लिये जमा करना होगा। जमानत या सुरक्षा राषि डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी के रूप में होगा जो कियी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक से निर्गत होगा तथा " **बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड** " के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा। इस राषि पर कोई व्याज देय नही होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राषि को पूर्णतः जब्त करने अथवा आंषिक कटौती के लिये पशु आहार कारखाना, होटवार,राँची स्वतंत्र होगा।
 15. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में वर्णित 28 गन्तव्य स्थानों में से कम से कम 05 गन्तव्य स्थानों के लिए अपना दर समर्पित करना अनिवार्य होगा यदि निविदादाता द्वारा 05 गन्तव्यों से कम गन्तव्यों के लिए दर दिया जाता है तो उक्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
 16. निविदादाता द्वारा विभिन्न गन्तव्यों के लिए दिया गया दर न्यूनतम दूरी व रेगुलर उपयोग में अपनाए जाने वाले रास्ते का प्रयोग के अनुरूप देना आवश्यक है।
 17. यदि कार्य का आवंटन एक या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच किया जाता है तो प्रत्येक उस सफल निविदादाता को (जिन गंतव्यों में उनका दर न्यूनतम होगा) अनुसूची -01 में दर्शायी गई राषि के अनुरूप सुरक्षा राषि जमा करना होगा। उदाहरणस्वरूप जिस निविदादाता का 05 गंतव्यों में दर न्यूनतम पाया जाता है, जो उन 05 गंतव्यों के लिये दर्शायी गई राषि सुरक्षा राषि के रूप जमा करनी होगी।
 18. सफल निविदादाता को 1000.00 (एक हजार रुपये) मात्र के नन जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर वैधानिक रूप से एकरारनामा कार्यावंटन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सम्पन्न करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा का प्रपत्र पशु आहार कारखाना, राँची से उपलब्ध कराया जायेगा।
 19. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराह्न 5.00 बजे तक सभी लोड गाड़ियों का चालान आदि निर्गत किया जा सके। परिवहन संवेदक स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि पूर्वाह्न 10.00 (दस) बजे से अपराह्न 4.00 बजे (चार बजे) तक पशु आहार कारखाना से गाड़ी निकलने तक सुपरवाईज करेंगे तथा उसके अगले दिन भेजे जाने वाले आहारों के लिये ट्रक व्यवस्था

करने की जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि उसी के अनुरूप वे खाली ट्रक पशु आहार कारखाना भेज सकें । कारखाना स्तर से उन्हें दूरभाष से भी ट्रक भेजने की सूचना दी जा सकती है तदनु रूप वे उसकी व्यवस्था करेंगे ।

20. पशु आहार कारखाना , होटवार,रॉची से उत्पादित पशु एवं पक्षी आहार को ले जाकर निर्धारित गंतव्य स्थानों तक सुरक्षित पहुँचाना तथा वहाँ से पावती कराकर प्राप्ति चालान पशु आहार कारखाना में जमा करना होगा ।
21. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक,खलासी या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा इस कारखाना को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जायेगी तो उसकी सारी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी अथवा उनके परिवहन विपत्र से कटौती की जायेगी ।
22. उत्पादित फीड के परिवहन के क्रम में आहारों के भीगे रूप में पाये जाने, बोरा के गिनती कम पाये जाने या किसी अन्य प्रकार की क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगे । उस स्थिति में उनके परिवहन विपत्र से समतुल्य राशि की कटौती की जायेगी ।
23. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी मांग की पूर्ति पूर्णतः या अंशतः लगातार दो दिनों तक नहीं की जाती है तो पशु आहार कारखाना अन्य श्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर फीड आपूर्ति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा एवं उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती कर ली जाएगी । किसी प्रकार की आपदा, लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव की स्थिति में इन शर्तों में ढील दी जा सकती है । जो पूर्णतः प्रबन्धन के अधिकार क्षेत्र में होगा ।
24. डीजल के मुल्य में कमी/बढ़ोतरी होने पर स्वीकृत दर में समानुपतिक कमी/वृद्धि की जायेगी । यह कमी/वृद्धि डीजल के मुल्य में समेकित रूप से 4.00 रूपया प्रति ली0 की दर से वृद्धि/कमी होने पर ही मान्य होगी एवं इसकी गणना कॉम्फेड मुख्यालय पटना द्वारा निर्धारित फार्मूला एवं शर्त के आधार पर ही की जायेगी जिसे परिवहन संवेदक को स्वीकार करना होगा ।
25. ट्रकों की अधिकृत लोडिंग क्षमता से अधिक वजन का डिस्पैच नहीं किया जायेगा । गाड़ी की क्षमता सम्बन्धी जाँच संवेदक या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी । लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग करवाते पाये जाने पर एवं उससे होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे । साथ ही इस स्थिति से यदि कारखाना को कोई क्षति होती है तो उस की भरपाई उनके विपत्रों/जमानत राशि से भी की जा सकती है ।
26. संवेदक एवं कॉम्फेड के बीच आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तावित अवधि के विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है ।
27. निविदा में अलग से कोई शर्त लिखना मान्य नहीं होगा तथा अलग से शर्त देने पर वैसे निविदा को रद्द किया जा सकता है ।
28. निविदादाता/निविदा फर्म का वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का निबंधन अनिवार्य होगा । सम्बन्धित सरकारी विभाग से निर्गत निबंधन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड तथा ईन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
29. वैसे निविदादाता जिनके पास अपना ट्रक है, वे निविदा के साथ सभी ट्रकों का ऑनर बुक की छाया प्रतियाँ एवं बीमा की छाया प्रतियाँ अवष्य संलग्न करें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा ट्रको का निबंधन एवं बीमा अनुमान्य है ।
30. यदि कुल गणतव्यों में से एक या एक से अधिक निविदादाता सफल होते है तो वैसे स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बॉट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य आवंटित करें, बर्षते कि वैसे सफल निविदादाता अनुसूची -01 में दर्शायी गई राशि के अनुरूप सुरक्षा राशि जमा करने के लिए सहमत हो । यदि वे सहमत नहीं होते है तो उक्त गणतव्यों का परिवहन कार्य अन्य निविदादाता को आवंटित कर दिया जायेगा परन्तु सफल निविदादाता को यह लिखित रूप में देना होगा ।
31. सबसे ज्यादा गणतव्यों में जिसका दर न्यूनतम पाया जायेगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी, बर्षते अन्य कोई सफल संवेदक कार्य करने पर सहमत नहीं हो । वैसे स्थिति में सभी गणतव्यों के लिए उनसे दर वार्ता के उपरांत ही कार्यावंटन आदेश निर्गत होगा ।

32. जिन गणतय्यों तक आहार पहुँचाना है, उसकी सूची संलग्न निविदा प्रपत्र -04 में वर्णित है, जिसमें दर भरा जाना है ।
33. कार्य आवंटन का आदेश मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, राँची के द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा कार्य आवंटन के उपरान्त किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्ष कर उसका निदान किया जायेगा । आपसी सहमति से निदान नहीं होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, कॉम्पेड, पटना द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
34. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यादेश निर्गत होगा, प्रत्येक दस दिनों के विपत्रों का भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्रों के जॉचोपरांत विपत्र का भुगतान चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।
35. प्राकृतिक आपदा एवं अन्यान्य कारणों से मुख्य मार्ग/ सामान्यतया : उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग को परिवर्तित कर अन्य मार्ग से पशु आहार परिवहन करने की स्थिति में, गंतव्य स्थान तक तय की गई 15 कि०मी० की अतिरिक्त दूरी तक कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा । 15 कि०मी० से अधिक दूरी तय करने की दशा में गन्तव्य स्थान तक निर्धारित दर के अनुपात में ही अधिक तय की गई दूरी का भाड़ा देय होगा, परन्तु इसके लिए सफल निविदादाता को पशु आहार कारखाना राँची के मुख्य कार्यपालक को पूर्व में जानकारी देना अनिवार्य होगा। पूर्व में जानकारी नहीं दिए जाने के कारण तय किए गए अतिरिक्त दूरी का विपत्र का भुगतान नहीं किया जाएगा अथवा किसी प्रकार का दावा भी मान्य नहीं होगा।
36. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा ।
37. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार प्रबन्धक, पशु आहार कारखाना, राँची को सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं ।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

तिथि -



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

उत्पादित फीड परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र – 02

1. आवेदक का नाम _____
2. आवेदक की स्थिति _____
व्यक्तिगत / फर्म / कम्पनी _____
3. आवेदक का स्थायी पता _____

4. आवेदक का पत्राचार का पता _____
(प्रमाणक का छायाप्रति संलग्न करें): _____

5. आवेदक का दूरभाष संख्या _____
6. आवेदक के अधिकृत व्यक्ति का मोबाईल नम्बर _____
7. पैन संख्या _____
(आवेदक का पैन कार्ड संख्या)
8. गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या— _____
(आवेदक का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या)
9. परिवहन हेतु प्रस्तावित गाड़ियों की संख्या

पासपोर्ट साईज
फोटो का स्पेस

स्वयं की गाड़ियों की संख्या	लीज / अनुबंध पर ली गयी गाड़ियों की संख्या



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

10. निविदा प्रपत्र मूल्य एवं अग्रधन की राशि रूपये में

विवरण	निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि	अग्रधन की राशि
अंक / शब्दों में		
बैंक ड्राफ्ट संख्या		
निर्गत करने वाले बैंक का नाम / दिनांक		
शाखा का नाम		

11. आवेदक की वित्तीय स्थिति :

कारोबार (रू0 लाख में)

वित्तीय वर्ष 2014 – 15

वित्तीय वर्ष 2015 – 16

वित्तीय वर्ष 2016 – 17

- (क) निविदादाता को उपरोक्त तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
- (ख) सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर दी गई जानकारी सत्य है । दी गयी जानकारी या उसके किसी अंश के किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने पर मेरी निविदा पशु आहार कारखाना, रॉंची रद्द करने के लिये स्वतंत्र है ।
- (ग) निविदा की सभी शर्तें स्वीकार्य एवं मान्य है ।

दिनांक :-

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

उत्पादित फीड परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र -3

परिवहन हेतु व्यवहार में लाये जाने वाले ट्रकों की विवरणी -

क्रमांक	ट्रक का निबन्धन संख्या	मालिक का नाम एवं पता	क्या ट्रक अपना है अथवा नियंत्रणाधीन हों / नहीं	ऑनर बुक का छाया प्रति संलग्न की गई है अथवा नहीं (हॉ/नहीं)	नियंत्रणाधीन ट्रक के ऑनर बुक के साथ-साथ शपथ पत्र की प्रति संलग्न की गई है या/नहीं
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

दिनांक:-

निविदादाता का हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

नोट:- निविदादाता और भी ट्रकों की विवरणी दे सकते हैं यदि उनके पास उपलब्ध हों ।



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

निविदा प्रपत्र - 4

वैसे स्थानों/गंतव्यों की सूची जहाँ के लिये परिवहन दर आमंत्रित है ।

क्रमांक	स्थानों/गंतव्यों का नाम	भाड़ा प्रति टन	अनलोडिंग दर प्रति टन
01.	बरौनी डेयरी		
02.	मोखियारपुर (बेगुसराय)		
03.	मुसहरी महिला (बेगुसराय)		
04.	महिन्द्रपुर, हाथीदाह(पटना)		
05.	शिवनार, मोकामा (पटना)		
06.	सदानन्दपुर (बेगुसराय)		
07.	तेतरी(बेगुसराय)		
08.	मसुदनपुर (बेगुसराय)		
09.	श्रीरामपुर महिला (बेगुसराय)		
10.	राहतपुर (बेगुसराय)		
11.	मटिहानी (बेगुसराय)		
12.	मझौल (बेगुसराय)		
13.	रामपुर कचहरी (मझौल)		
14.	गोपालपुर (मझौल)		
15.	खगडिया शीतक केन्द्र		
16.	रौन(खगड़िया)		
17.	गौछाड़ी(खगड़िया)		
18.	उत्तरी पनसल्वा (खगड़िया)		
19.	गोविन्दपुर (खगड़िया)		
20.	रहुआ(खगड़िया)		
21.	कैथी (खगड़िया)		
22.	लख्खीसराय		
23.	सरलाही , सुर्यगढ़ा (लख्खीसराय)		
24..	समस्तीपुर डेयरी		
25.	रोसड़ा शीतक केन्द्र		
26.	मुगेंर शीतक केन्द्र		क्रम सं0 27-28 तक का परिवहन

			दर 407 / 709 ट्रक या इसके समतुल्य ट्रक प्रति मिट्रिक टन के अनुकुल भरे तथा माल अनलोडिंग का दर भी भरें ।
27.	बोकारों		
28.	राँची डेयरी, राँची		

- नोट:- (1) क्रमांक 27 से 28 तक के गंतव्यों पर ट्रक से माल अनलोडिंग का भी कार्य परिवहन संवेदक स्तर से ही किया जायेगा इस लिये अनलोडिंग का दर प्रति टन अभ्युक्ति कॉलम में भरेंगे।
- (2) क्रमांक 27 से 28 तक के गंतव्यों के लिए आहारों का परिवहन छोटे ट्रकों यथा 407 / 709 या इसके समतुल्य ट्रको पर किया जाता है। अतः निविदादाता इन गंतव्यों हेतु छोटे ट्रकों के अनुरूप प्रति मिट्रिक टन का दर अभ्युक्ति कॉलम में भरेंगे।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

तिथि :



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

अनुसूची - 01

क्रमांक	गणतव्य के नाम	जमानत की राशि (रू0 में)
01.	बरौनी डेयरी	50,000.00
02.	मोखियारपुर (बेगुसराय)	5,000.00
03.	मुसहरी महिला,बछवारा (बेगुसराय)	5,000.00
04.	महिन्द्रपुर ,हाथीदाह(पटना)	5,000.00
05.	शिवनार , मोकामा (पटना)	5,000.00
06.	सदानन्दपुर ,बलिया (बेगुसराय)	5,000.00
07.	तेतरी(बेगुसराय)	5,000.00
08.	मसुदनपुर , बलिया (बेगुसराय)	5,000.00
09.	श्रीरामपुर महिला (बेगुसराय)	5,000.00
10.	राहतपुर (बेगुसराय)	5,000.00
11.	मटिहानी (बेगुसराय)	5,000.00
12.	मझौल (बेगुसराय)	10,000.00
13.	रामपुर कचहरी, खुदावन्दपुर (मझौल)	5,000.00
14.	गोपालपुर (मझौल)	5,000.00
15.	खगडिया शीतक केन्द्र	50,000.00
16.	रौन(खगडिया)	5,000.00
17.	गौछाडी , महेशखुट (खगडिया)	5,000.00
18.	उत्तरी पनसल्वा (खगडिया)	5,000.00
19.	गोविन्दपुर , परबत्ता (खगडिया)	5,000.00
20.	रहुआ(खगडिया)	5,000.00
21.	कैथी (खगडिया)	5,000.00
22.	लखीसराय	25,000.00
23.	सरलाही , सुर्यगढा(लखीसराय)	5,000.00
24.	समस्तीपुर डेयरी	50,000.00
25.	रोसडा शीतक केन्द्र	50,000.00
26.	मुगैर शीतक केन्द्र	50,000.00
27.	बोकारों	25000.00
28.	रॉची डेयरी, रॉची	10,000.00
	कुल योग	4,15,000.00

